खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अधिनियम, 2008

कानून और न्याय मंत्रालय

(विधान विभाग)

(2008 का 13)

[28 मार्च, 2008]

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में संशोधन हेतु अधिनियम। इसे भारत गणराज्य के 59 वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाएगा:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इस अधिनियम को **खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अधिनियम, 2008** कहा जा सकता है। (2) इसे 7 फरवरी, 2008 से लागू माना जाएगा।

2. धारा 3 का संशोधन– खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) (इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित) में, धारा 3 की उपधारा (1) में, खंड (ze) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

(ze) "सदस्य" में एक अंशकालिक सदस्य और खाद्य प्राधिकरण का अध्यक्ष शामिल है;'।

3. धारा 5 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (4) और (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:–

"(4) खाद्य प्राधिकरण के पदेन सदस्यों के अलावा अंशकालिक सदस्यों सहित अध्यक्ष और सदस्यों को चयन समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

(5) खाद्य प्राधिकरण का अध्यक्ष कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। "

4. धारा 7 का संशोधन – मूल धारा 7 में, मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में, प्रावधानों के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान रखे जाऐंगे, अर्थात:

"परंतु अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु के बाद यह पद धारण नहीं करेगा। "

5. निरसन और बचत –(1) खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश 6), इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) इस तरह के निरसन में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई भी कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई या मानी जाएगी।

के.डी. सिंह,

भारत सरकार के सचिव

1

1 "2008 के अधिनियम संख्या 13, दिनांक 28 मार्च, 2008 के अधीन भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग– II, खंड (i) में प्रकाशित।